

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक


कार्यालय-आदेश

श्री विमल चन्द जैन सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.10.2019 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री विमल चन्द जैन के विरुद्ध आज तक

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है ।


(सीताराम जाट)


संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2(सब)/जी-39/आ.कृ./गुप-9/ 1815-22

दिनांक:- 8/7/19

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि) भीलवाडा ।
3. सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी ।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. श्री विमल चन्द जैन सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटडी ।
6. प्रभारी, पेंशन शाखा, मुख्यालय जयपुर ।
7. निजी पंजिका ।


(डा. सुपेन्द्रपाल सिंह सन्धा)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष-0141-2227342. Email: jdagr_admn@rediffmail.com